

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी:-उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:-387/2018

1. रविन्द्र कुमार पुत्र भालाराम जाति जाट निवासी डबलीकंला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
- वादी

बनाम


- 1. भालाराम पुत्र जीतराम } जाति जाट निवासी डबलीकंला तहसील टिब्बी जिला
- 2. संदीप कुमार पुत्र भालाराम } हनुमानगढ।
- 3. मांगीलाल पुत्र कुलदीप पुत्र जीतराम } जाति जाट निवासीयान डबलीकंला तहसील
- 4. भागवन्ती पत्नी कुलदीप } टिब्बी जिला हनुमानगढ।

-प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री करनैलसिह वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री महावीर वर्मा प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी रविन्द्र कुमार को चक नं0 2 आरपी सीएडी रहित के खाता सं0 64/65 में प्रतिवादी सं0 1 भालाराम का 1.263 है0 में 1/3 हिस्सा व भागवन्ती का 422 है0 हिस्सा व इसी चक के खाता सं0 60/14 में मांगीलाल का 1.088 है0 तथा प्रतिवादी सं0 4 भागवन्ती को चक नं0 12 डीबीएल के खाता सं0 60/54 की कुल 1.088 है0 आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चक न0 12 डीबीएल के खाता सं0 60 से भालाराम का नाम कलमजन, चक नं0 2 आरपी सीएडी रहित के खाता सं0 60/14 से मांगीलाल का नाम कलमजन व इसी चक के खाता सं0 64/65 में से भालाराम व भागवन्ती का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक 2018 अदा करें।

बसबत मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....2018 को जारी किया गया।



(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी